न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 52/2026

1. काशीराम पुत्र पतराम जाति जाट निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी–

बनाम

1. प्रकाश पुत्र सुखदेव सिंह जाति बांवरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रवण कुमार पुत्र सुखदेव सिंह जाति बांवरी निवासी खाराखेडा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

3 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

उपरिस्थिति:– श्री संजय भार्मा अधिवक्ता प्रार्थी

श्री जे0एन0 भार्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 30/3/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम आराजी चक न0 6 के. एच. आर जमांबदी सम्वत 2075 से 78 खाता स० 26/22 में 4.6680 हे0 व अप्रार्थीगण के नाम इसी चक के खाता स. 123/124 में दर्ज 0.5060 हे. भूमिं खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदीया संलग्न प्रार्थना पत्र है । यह की उक्त आराजी में आने जाने के लिये प्रार्थी को कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है प्रार्थी, अप्रार्थीगणके नाम दर्ज चक 6 के. एच. आर के खाता स. 123/124 के प0न0 232/210 मु.न. 4 कि.न. 23/0.2530 हे, में उत्तर में दक्षीण लम्बा पूर्व दिशा की तरफ चालू रास्ता में से हो कर अपनी कृषी भूमि में आता जाता है। जो अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त किला में रास्ता मौका पर चालू है जिसका प्रार्थी उपयोग व उपभोग कर रहा है प्रार्थी उक्त वर्णित किलों में चालू शुदा रास्ता चक 6 के. एच. आर के खाता स. 123/124 के प०न० 232/210 मु.न. 4 कि.न. 23/0.2530 हे. उत्तर से दक्षीण लम्बा पुर्व दिशा की तरफ स्वीकृत करवाना चाहते है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिये नजदीकी रास्ता नही है प्रार्थी के अपने खेत में आने जाने के लिये कोइ स्वीकृत शुदा रास्ता नही है जिससे उन्हें भारी परेशानी व मानसिक वेदना हो रही है इसलिये प्रार्थी को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है । प्रार्थी इन्ही किला में से होकर अपनें खेत में आता जाता है। यह रास्ता पिछले 10 वर्षो से चला आ रहा है व मौका पर चालू है। वर्तमान में प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है। अब अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को बंद करने पर आमादा है, यदि अप्रार्थीगण अपने इस विधि विरूद्ध कृत्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थी अपने खेत में आने–जाने से वंचित रह जायेगा, जिससे उसे अपूर्णीय क्षति व घोर मानसिक वेदना होगी व ना हक मुकदमेबाजी बढ़ेगी। अतः प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) आर. टी. ए. मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि चक 6 के. एच. आर के खाता स. 123/124 के प0न0 232/210 मु.न. 4 कि.न. 23/0.2530 हे, में उत्तर से दक्षीण लम्बा पूर्व दिशा की तरफ 2 विस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी

Scanned with OKEN Scanner